।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 09.12.2024 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 09.12.2024** को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंघ, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री एल.आर.मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री दिलबाग सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जयपुर के निर्णय के क्रम में 12 बन्दी का खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
गोपाल पुत्र हंसराज	वि.के.का. श्यालावास	904/2024	22.10.2024	02.12.2024
सोनू पुत्र श्याम	के.का.अलवर	1810/2024	05.11.2024	03.12.2024
गोपाल पुत्र नाहरूराम	वि.के.का. श्यालावास	2577/2023	05.11.2024	18.11.2024
प्रदीप वैष्णव पुत्र भंवरलाल वैष्णव	के.का.अजमेर	2210/2024	06.11.2024	13.11.2024
पूरणमल पुत्र अशोक कुमार	वि.के.का. श्यालावास	929/2024	04.12.2024	05.12.2024

श्यामलाल पुत्र शंकरलाल	वि.के.का. श्यालावास	2107/2024	24.10.2024	20.11.2024
सोनू पुत्र मूलचन्द	के.का.भरतपुर	2046/2024	25.11.2024	04.12.2024
पवन नागर पुत्र कन्हैयालाल	के.का.कोटा	2130/2024	02.12.2024	06.12.2024
गजेन्द्र कुमार उर्फ डेडया पुत्र श्रवणलाल	के.का.जयपुर	1748/2023	07.11.2024	21.11.2024
जयराम मीणा पुत्र रेवडराम	के.का.अलवर	824/2024	04.12.2024	09.12.2024
बलकर्ण सिंह पुत्र मेहगा सिंह	वि.के.का. श्यालावास	1636/2023	28.11.2024	06.12.2024
सूरज धोबी पुत्र बालचन्द	के.का.कोटा	2063/2024	25.11.2024	02.12.2024

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. **दण्डित बंदी गोपाल पुत्र नाहरूराम, जाति बावरिया, निवासी बरड़ा तन अजीतगढ़, जिला सीकर (वि.के.का.श्यालावास):-**

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2000 अंतर्गत धारा 147,148,302/149,302/120बी,553,225, 225/120बी आई.पी.सी. में आदेश दिनांक 04.11.2019 प्रभावी दिनांक 14.01.2021 को आजीवन कारावास से, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 373/2023 अंतर्गत धारा 380 आई.पी.सी. में 03 वर्ष 06 माह साधारण कारावास व जुर्माना राशि 1000/- रूपये एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना द्वारा प्रकरण संख्या 16/2007 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 02 वर्ष साधारण कारावास व जुर्माना राशि 500/- रूपये से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक 08 वर्ष 27 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था।

तत्समय बंदी के 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने से समिति द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के उपनियम 3(घ) के तहत **दण्डित बंदी गोपाल पुत्र नाहरूराम** को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। बंदी इस प्रकरण के अलावा अन्य प्रकरणों में सजा भुगत चुका है।

बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2577/2023 गोपाल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 05.11.2024 से निर्णय पारित किया है कि " Directed to transfer the petitioner from Central jail Shyalawas Dausa to open air camp Sanganer Jaipur."

बंदी द्वारा मूल प्रकरण के अतिरिक्त अन्य 02 प्रकरणों की सजा मूल प्रकरण की सजा के साथ-साथ भुगती जा चुकी है तथा जुर्माना राशि जमा करवा दी गई है। अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास द्वारा भी बंदी का कारागृह में वर्तमान कार्य एवं आचरण संतोषप्रद बताया है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत **दण्डित बंदी गोपाल पुत्र नाहरूराम** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. **दण्डित बंदी श्यामलाल पुत्र शंकरलाल, जाति दरोगा, निवासी सरदार जी का खेड़ा, पुलिस थाना माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (वि.के.का.श्यालावास):-**

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बेगूं, जिला चितौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 29/2015 अंतर्गत धारा 302/34,394/34 आई.पी.सी. में आदेश दिनांक 25.08.2021 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 08 वर्ष 10 माह 19 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 31.07.2023 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 394/34 आई.पी.सी. में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित होने पर समिति द्वारा **दण्डित बंदी श्यामलाल पुत्र शंकरलाल** को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

इसी क्रम में बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक 10 वर्ष 01 माह 07 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था। तत्समय बंदी के विरूद्ध प्रतिबंधित धारा के जुर्माने की राशि जमा कराने/जुर्माने की सजा भुगते जाने के उपरान्त निर्णय लेने हेतु समिति द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत **दण्डित बंदी श्यामलाल पुत्र शंकरलाल** के प्रकरण को आगामी बैठक में विचार करने हेतु अग्रेषित किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 31.07.2023 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के विरूद्ध बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2107/2024 श्यामलाल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 24.10.2024 से निर्णय पारित किया है कि " This Court, upon examination of the term 'ordinarily' asmentioned in Rule 3 of the Rules 1972, and considering the petitioner's good conduct in jail, a total remission earned, the overall sentence period, satisfactory completion of first parole, the cited precedent and the overall perspective of the case, is hereby rejected the committee's minutes dated 31.07.2023 quathe petitioner and it is directed that the convict petitioner shall forth with be sent to the suitable Open Air Camp in accordance with law." आदेशित किया है। बंदी द्वारा प्रतिबंधित धारा की सजा भुगत ली गई है एवं प्रतिबंधित धारा की जुर्माने की राशि जमा करवा दी गई है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत **दण्डित बंदी श्यामलाल पुत्र शंकरलाल** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. **दण्डित बंदी बलकर्ण सिंह पुत्र मेहगा सिंह, जाति जटसिख, निवासी सेनपाल कोढ़ा, पुलिस थाना राणीया, जिला सिरसा, हरियाणा (वि.के.का.श्यालावास):-**

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस केसेज क्रम संख्या 02, चितौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 47/2017 अंतर्गत धारा 8/18, 8/25 एनडीपीएस एक्ट में आदेश दिनांक 01.11.2019 को 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1636/2023 बलकर्ण बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 28.11.2024 से निर्णय पारित किया है कि "In view of the above, the instant petition stands allowed. The respondents are directed to reconsider the application filed by the petitioner for sending him to open air camp at the earliest, preferably within a period of four weeks from the date of production of certified copy of this order." आदेशित किया है।

अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास के पत्रांक 4839 दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अवगत कराया कि माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस केसेज क्रम संख्या 02 चितौड़गढ़ के आदेश क्रमांक 784 दिनांक 18.11.2023 की पालना में उक्त बंदी को अन्य प्रकरण में वांछित नही होने पर दिनांक 18.11.2023 को विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास से जमानत पर रिहा कर दिया गया है।सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी बलकर्ण सिंह पुत्र मेहगा सिंह** के प्रकरण पर कोई निर्णय लिया जाना अपेक्षित नहीं है। उक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर को सूचित किया जाना है।

4. **दण्डित बंदी गजेन्द्र कुमार उर्फ डेडया पुत्र श्रवणलाल, जाति मीणा, निवासी लालवास, पुलिस थाना आमेर, जिला जयपुर (वि.के.का.श्यालावास):-**

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 18, जयपुर महानगर द्वारा प्रकरण संख्या 84/2012 अंतर्गत धारा 302,307,341,324 आई.पी. सी. में आदेश दिनांक 25.01.2014 प्रभावी दिनांक 02.12.2019 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक 07 वर्ष 02 माह 24 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में समिति द्वारा **दण्डित बंदी गजेन्द्र कुमार उर्फ डेडया पुत्र श्रवणलाल** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1748/2024 गजेन्द्र बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 07.11.2024 से निर्णय पारित किया है कि " In this view of the matter, the instant writ petition is disposed of with the direction to the respondents to decide the application of the petitioner, if pending, with

a reasoned order within a period of one month from the date of receipt of certified copy of this order." आदेशित किया है।

उक्त बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर पूर्व में राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत आयोजित बैठक दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में समिति द्वारा **दण्डित बंदी गजेन्द्र कुमार उर्फ डेडया पुत्र श्रवणलाल** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः सर्वसम्मति से उक्त बंदी के प्रकरण पर कोई निर्णय लिया जाना अपेक्षित नहीं है। उक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर को सूचित किया जाना है।

5. **दण्डित बंदी जयराम पुत्र रेवडराम, जाति मीणा, निवासी बालेटा, पुलिस थाना मालाखेड़ा, जिला अलवर (के.का.अलवर):-**

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 18/2016 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आदेश दिनांक 28.01.2019 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक 07 वर्ष 10 माह 11 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था।

तत्समय बंदी 30 दिवसीय नियमित पैरोल उपभोग पश्चात दिनांक 16.08.2022 को जेल दाखिल ना होकर पैरोल से फरारशुदा होने से समिति द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के उपनियम 3(ग) के तहत **दण्डित बंदी जयराम पुत्र रेवडराम** को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 824/2024 जयराम बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 04.12.2024 से निर्णय पारित किया है कि " Considering the above submission made by counsel for the petitioner and as proposition of law laid down by this court in the case of Haluka (Supra), the instant criminal writ petition stands allow. The Impugned order qua the petitioner stands quashed and set aside. It is directed the petitioner be shifted from Central jail to open air camp." आदेशित किया है।

अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अलवर द्वारा भी बंदी का कारागृह में आचरण संतोषप्रद बताया है एवं बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत **दण्डित बंदी जयराम पुत्र रेवडराम** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

6. **दण्डित बंदी पूरणमल पुत्र अशोक कुमार, जाति मीणा, निवासी जाखी वालो की ढ़ाणी तन श्यामपुरा, पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर (वि.के.का. श्यालावास)**

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2017 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आदेश दिनांक 15.01.2020 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक 09 वर्ष 09 माह 21 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था।

तत्समय बंदी के विरूद्ध 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही) होने से समिति द्वारा **दण्डित बंदी पूरणमल पुत्र अशोक कुमार** को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के विरूद्ध बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 929/2024 पूरणमल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 04.12.2024 से निर्णय पारित किया है कि " The impugned order dated 24.01.2024 qua the petitioner stands quashed and set aside. The respondents are directed to trasnfer petitioner from Central Jail to Open air camp." आदेशित किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा बंदी के प्रकरण पर प्रकरण का पुन: अवलोकन करने पर पाया कि अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालवास के द्वारा प्राप्त टिप्पणी अनुसार बंदी के विरूद्ध 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) होने से समिति द्वारा **दण्डित बंदी पूरणमल पुत्र अशोक कुमार** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

अस्वीकृत प्रकरणं का विवरण :-

1. **दण्डित बंदी गोपाल पुत्र हंसराज, जाति गुर्जर, निवासी जैतपुरा, पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर, (वि.के.का.श्यालावास):-**

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 101/2016 अंतर्गत धारा 364ए,394,323,324,307 आई. पी.सी. में आदेश दिनांक 06.09.2017 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 904/2024 गोपाल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 22.10.2024 से निर्णय पारित किया है कि " In view of the limited prayer, the petition is disposed of witha direction to the respondents to decide the application filed by the petitioner, if pending with them, with in three months from the date of receipt of a certified copy of this order, in accordance with law." आदेशित किया है।

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक 08 वर्ष 02 माह 15 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था। तत्समय बंदी प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने पर समिति द्वारा **दण्डित बंदी गोपाल पुत्र हंसराज** को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

अत: सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी गोपाल पुत्र हंसराज** के प्रकरण पर कोई निर्णय लिया जाना अपेक्षित नहीं है। उक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर को सूचित किया जाना है।

2. **दण्डित बंदी सोनू पुत्र श्याम, जाति वाल्मिकी, निवासी उदैना, पुलिस थाना जगनेर, जिला आगरा, उ.प्र. हाल हरचन्दपुर, किरायेदार सिंह कॉलोनी सांथलका पुलिस थाना भिवाड़ी फैज तृतीय, जिला अलवर (के.का.अलवर):-**

बंदी को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 02, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 46/2018 अंतर्गत धारा 376डी,363 आई.पी.सी. में आदेश दिनांक 08.11.2019 को 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1810/2024 सोनू बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 05.11.2024 से निर्णय पारित किया है कि " Direction to the concerned authorities to decide the application filed on behalf of the petitioner-Sonu Kumar S/o Shri Shyam through his nephew Amar Singh S/o Shri Prem Chand with regard to his transfer from Central Jail, Alwar to Open Air Camp, Sanganer, Jaipur with in a period of one month from the receipt of copy of this order." आदेशित किया है।

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक 09 वर्ष 02 माह 20 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने पर समिति द्वारा **दण्डित बंदी सोनू पुत्र श्याम** को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

अत: सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी सोनू पुत्र श्याम** के प्रकरण पर कोई निर्णय लिया जाना अपेक्षित नहीं है। उक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर को सूचित किया जाना है।

3. **दण्डित बंदी प्रदीप वैष्णव पुत्र भंवरलाल वैष्णव, जाति वैष्णव, निवासी सरसू वाली कोठी, खारिया रोड़, कुचामन सिटी, पुलिस थाना कुचामन सिटी, हाल वैध लोकनाथ शर्मा का मकान नं. ई-123 मूरलीपुरा स्कीम पुलिस थाना मूरलीपुरा जयपुर (के.का.अजमेर):-**

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01, परबतसर जिला नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 61/2014 अंतर्गत धारा 302,396,460 आई.पी.सी. में आदेश दिनांक 25.11.2020 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बन्दी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी. क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 1506/2023 दायर की गई। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 09 माह 27 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 06.12.2023 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की पालना में बंदी के प्रकरण का पुनः अवलोकन करने पर पाया कि श्रीमती संतोष उर्फ पप्पूडी व उसका पुत्र बाबूलाल उम्र 19 वर्ष दिनांक 08.04.2014 को घर पर थे जिनकी प्रदीप व उसके अन्य साथियों ने अमान्य तरीके से हत्या कर दी। संतोष उर्फ पप्पूडी चारपाई पर मृत अवस्था में पडी थी जिसका गला तौलिये से घोटा हुआ था और कमरे में उसका पुत्र बाबूलाल खून से लथपथ होकर मृत अवस्था में पडा था। तीनों कमरों में सामान बिखरा पडा था। इस प्रकार बन्दी ने अन्य तीन साथियों के साथ मिलकर दोनों की निर्मम हत्या की व सामान लूटकर ले गये। अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या-1 परबतसर जिला नागौर ने प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। **बन्दी का यह कृत्य उसकी आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। बंदी को खुला शिविर में भिजवाये जाने से समाज पर विपरित प्रभाव पड़ेगा तथा उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।** बन्दी के विरूद्ध एक अन्य प्रकरण विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, मेडतासिटी में प्रकरण संख्या 32/2008 विचाराधीन (जमानत पर) होने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रदीप पुत्र भंवरलाल वैष्णव** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के विरूद्ध बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2210/2024 प्रदीप बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 06.11.2024 से निर्णय पारित किया है कि " In that view, the D.B. Criminal Writ Petition No.2210 of 2024 is disposed of with a direction to respondent No.4 to take final decision within four weeks on the application moved by the petitioner." आदेशित किया है।

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक 11 वर्ष 08 माह 11 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 394,460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने से एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) होने के कारण समिति द्वारा **दण्डित बंदी प्रदीप वैष्णव पुत्र भंवरलाल वैष्णव** को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

अत: सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी प्रदीप वैष्णव पुत्र भंवरलाल वैष्णव** के प्रकरण पर कोई निर्णय लिया जाना अपेक्षित नहीं है। उक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर को सूचित किया जाना है।

4. दण्डित बंदी सोनू पुत्र मूलचन्द, जाति लुहार, निवासी फालेन, हाल कोसीकलां पुलिस थाना कोसीकलां, जिला मथुरा, उ.प्र. (के.का.भरतपुर):-

बंदी को न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, तिजारा, जिला अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 85/2014 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. 3/25 आर्म्स एक्ट में आदेश दिनांक 05.10.2021 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2046/2024 सोनू बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 25.11.2024 से निर्णय पारित किया है कि " In view of the limited prayer made by the petitioner, this criminal petition is allowed with the direction to respondent No.3 to dispose of the application filed by the petitioner for shifting/transferring him from Central Jail, Bharatpur to Open AirCamp, Bharatpur preferably within a period of one month from the date of receipt of the certified copy of this order." आदेशित किया है।

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक 09 वर्ष 08 माह 20 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था। तत्समय बंदी दिनांक 14.06.2023 से 25.02.2024 तक खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा होने पर समिति द्वारा **दण्डित बंदी सोनू पुत्र मूलचन्द** को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

अत: सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी सोनू पुत्र मूलचन्द** के प्रकरण पर कोई निर्णय लिया जाना अपेक्षित नहीं है। उक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर को सूचित किया जाना है।

5. दण्डित बंदी पवन कुमार पुत्र कन्हैयालाल, जाति धाकड़, निवासी बावड़ी खेड़ा, पुलिस थाना सदर जिला झालावाड़ (के.का.कोटा):-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, संख्या 02 झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 32/2018 अंतर्गत धारा 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट, 376(2)(एन),363, 366ए आई.पी.सी. में आदेश दिनांक 18.09.2019 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक 09 वर्ष 03 माह 23 दिवस सजा मय विचाराधीन अवधि एवं अर्जित परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में रखा गया था।

तत्समय बंदी धारा 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट एवं प्रतिबंधित धारा 376(2) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने पर समिति द्वारा **दण्डित बंदी पवन कुमार पुत्र कन्हैयालाल** को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2130/2024 पवन बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 02.12.2024 से निर्णय पारित किया है कि " In view of the above, the present criminal writ petition stands disposed of by issuing a direction to the authorities concerned to decide the application (pending, if any) expeditiouslyas early as possible, preferably within a period of two months fromthe date of receipt of the certified copy of this order." आदेशित किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा बंदी के प्रकरण का पुनः अवलोकन करने पर पाया कि बंदी को धारा 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट एवं प्रतिबंधित धारा 376(2) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। जो राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के उपनियम 3(घ) के तहत बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की पात्रता नहीं रखता है। अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से दण्डित बंदी **पवन कुमार पुत्र कन्हैयालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

6. **दण्डित बंदी सूरज धोबी पुत्र बालचन्द, जाति धोबी, निवासी इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी रामगंजमण्डी, पुलिस थाना रामगंजमण्डी जिला कोटा (के.का.कोटा):-**

बंदी को अपर जिला एवं न्यायाधीश रामगंजमण्डी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 18/2014 अंतर्गत धारा 302/34 आई.पी.सी. में आदेश दिनांक 16.12.2017 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी दिनांक 31.12.2023 से बंदी खुला शिविर, कोटा पर सजा भुगत रहा था। दिनांक 15.08.2024 को बंदी द्वारा कदाचार करने के कारण एफ.आई. आर. संख्या 190/2024 अपराध धारा 112(2),324(4)/(5),329(3),352,351(2)/(3), 191(2),191(3),190 बीएनएस 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना चेचट जिला कोटा में दर्ज होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी के आदेश की पालना में बंदी को दिनांक 13.09.2024 को जेल दाखिल कराया। उक्त प्रकरण में बंदी को दिनांक 20.09.2024 को जमानत मिल गई। बंदी वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह, कोटा में सजा भुगत रहा है।

बंदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2063/2024 सूरज बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 25.11.2024 से निर्णय पारित किया है कि " In view of the limited prayer made by the petitioner, thiscriminal petition is allowed with the direction to respondent No.3to dispose of the application filed by the petitioner forshifting/transferring him from Central Jail, Kota to Open Air Camp,Kota preferably within a period of one month from the date ofreceipt of the certified copy of this order." आदेशित किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा बंदी के प्रकरण का पुनः अवलोकन करने पर पाया कि

बंदी द्वारा कदाचार (लडाई-झगडा) करने के कारण दिनांक 13.09.2024 को जेल दाखिल कराया। जो राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के उपनियम 3(छ) के तहत बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की पात्रता नहीं रखता है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से दण्डित बंदी **सूरज धोबी पुत्र बालचन्द** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति.महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।